संख्या–2750/37–7–2009– एनआरईजीए/09

प्रेषक,

वी0के0 शर्मा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक–15 सितम्बर अगस्त, 2009

विषयः– कृषि विभाग की भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कच्चे कार्यो को नरेगा से डवटेल कर सम्पादित कराये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का मुख्य उद्देश्य है कि योजना के माध्यम से अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन हो एवं दीर्घ कालिक संसाधनों/संरचनाओं का निर्माण हो। योजना के अन्तर्गत मांग के आधार पर जाब कार्ड धारक को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में अनुमन्य कार्यों के विषय में अधिक से अधिक परियोजनाएं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित की जायं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी योजना के अन्तर्गत सतत् विकास की अवधारणा के क्रम में अन्य विभागों/योजनाओं के साथ संयोजन (कन्वर्जेन्स) हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु कृषि विभाग के राज्य सेक्टर की किसान हित योजना, कुशल जल प्रबन्धन तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कच्चे कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से डवटेल कर कराया जाय। इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–1555/12–3–09–100(38)/2009, दिनांक 22.05.2009 एवं शासनादेश संख्या–1589/12–3–2009– 474/87, दिनांक 23 जून, 2009 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग की उक्त योजनाओं को नरेगा से डवटेल करते हुए भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1.0 योजना का संचालन :–

उपरोक्त योजनाओं का संचालन कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत योजनाओं के कियान्वयन हेतु जनपद में कार्यरत कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयॉ परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (पी0आई0ए0) के रूप में कार्य करेंगी। कियान्वयन एजेंसी द्वारा जनपद स्तर पर परियोजनाएं तैयार कर जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) को प्रस्तुत की जायेंगी जो कि जनपद के स्वीकृत श्रम बजट में सृजित किये जाने वाले मानव दिवसों की लक्ष्य की प्राप्ति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम तथा भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप विहित प्रक्रिया के अनुसार कराये जा सकने वाले कार्यों को शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर उनका अनुमोदन सक्षम स्तर से करायेंगे। परियोजनाओं की स्वीकृति में यह ध्यान रखा जायेगा कि योजना अंतर्गत कराये जा सकने वाले कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों की परिधि में हों एवं नरेगा के अन्तर्गत श्रम एवं सामग्री के लिए निर्धारित 60:40 के अनुपात के अन्तर्गत ही धनराशि व्यय की जा सकती हैं।

2.0 योजनाओं के अन्तर्गत चिन्हित कार्यक्रम :–

2.1 किसान हित योजना :

क– ऊसर भूमि का सुधार :–

कृषि हेतु ऊसर सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य किये जायेगें :–

- प्रक्षेत्र विकास कार्य, जिसमें मेडबन्दी, समतलीकरण, सिंचाई नाली एवं फील्ड ड्रेन का निर्माण सम्मिलित है।
- लिंक ड्रेन का निर्माण।
- बोरिंग / पम्पसेट व्यवस्था।
- मृदा सुधारक (जिप्सम) का प्रयोग एवं लीचिंग।
- हरी खाद हेतु ढैंचे की बुवाई।
- खरीफ में धान की खेती।

ख– बीहड़ / बंजर विकास :–

इस कार्यकम के अन्तर्गत निम्न तीन कार्य प्रस्तावित है :–

i– कृषि उत्पादन हेतु

- मेडबन्दी, समतलीकरण, बेंच टेरेसिंग, जल संचय बंधी आदि।
- बांधों पर वृक्षारोपण।
- फसलोत्पादन कार्यकम।

ii–वनीकरण / कृषि वानिकी हेतु :–

- सुरक्षा खाई, स्टैगर्ड ट्रेन्च / गडढों की खुदाई ।
- भूमि सुधार के अन्य उपचार।
- [illegible]

iii–बागवानी विकास हेतु :–

- सुरक्षा खाई/बॉध निर्माण, गडढों की खुदाई।
- भूमि सुधार के अन्य उपचार।
- पौधरोपण–ऑवला, अमरूद, आम, नीबू, करौंदा आदि।

ग– जल भराव क्षेत्रों को उपचार :–

- जल निकास नालियों का निर्माण।
- स्थायी जल भराव क्षेत्र में आवश्यकतानुसार तालाब का निर्माण तथा जल निकास नाली द्वारा अतिरिक्त जल से निकटतम तालाबों का पुनर्भरण।

घ– तालाबों का जीर्णोद्धार :–

- तालाबों की खुदाई एवं आकारीकरण।
- जलीय खेती–मत्स्य पालन, सिंघाडा उत्पादन, रिचार्जिंग सिंचाई आदि।

योजनान्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार के संबन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश सं0–1771/38–4–06–50–विविध/05 दिनांक 18.08.2006 द्वारा भूमि एवं जल प्रबन्धन के लिये जलाशयों (तालाबों) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार हेतु जारी दिशा–निर्देश/मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

2.2 कुशल जल प्रबन्धन योजना :

- समोच्च रेखीय बॉध निर्माण।
- मार्जिनल/पेरीफेरल बॉध निर्माण।
- जल संचय बन्धी निर्माण।
- समतलीकरण।
- जल संवाहक सुविधाओं का विकास।
- वैज्ञानिक सिंचाई विधियों के प्रदर्शन।

2.3 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना :

- तालाब निर्माण/फार्म पाण्ड।
- जल संचय बन्धी निर्माण।
- स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना।
- वर्षा जल के सम्यक उपयोग के प्रदर्शन।

3.0 क्षेत्र चयन :–

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओ का चयन स्वतन्त्र जलसमेट क्षेत्र (वाटरशेड) के आधार पर रिज वैली के सिद्वान्त के अनुसार किया जायेगा। जलसमेट क्षेत्र के चयन में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के प्राविधानों का पालन किया जायेगा। जलसमेट के विकास का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के कटाव पर नियन्त्रण तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन करना, जिससे कृषि उत्पादन एवं आच्छादन में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के अधिक साधन उपलब्ध हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि जलसमेट

के प्रत्येक खसरे की निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि के उपचार हेतु समग्र विकास की कार्ययोजना बनाई जाय। क्षेत्र चयन में जनपद देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया, चन्दौली, सोनभद्र, गाजीपुर एवं मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित ग्रामों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित जलाग्राम क्षेत्र में उपचार के समस्त एकीकृत कार्यों का निष्पादन किया जायेगा।

4.0 लाभार्थी चयनः

परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं भूमिहीन खेतीहर मजदूर योजना के लाभार्थी होंगे। जल समेट क्षेत्र के आधार पर चयनित परियोजनाओं मे आने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की अनुसूची–एक की संशोधित प्रस्तर–1(पअ) में चिन्हित निम्नांकित लाभार्थियों एवं की निजी भूमि को उपचारित कर लाभान्वित किया जायेगा:–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवार।
- भूमि सुधार के नीचे के परिवार।
- इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी।
- लघु एवं सीमान्त कृषक।

उक्त के अतिरिक्त जल समेट क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सामुदायिक भूमि यथा ग्राम समाज की भूमि, तालाब, चारागाह, खेल का मैदान, जल निकास नाले आदि का भी यथावश्यक उपचार सुनिश्चित किया जायेगा।

5.0 प्रशिक्षणों का आयोजनः–

योजनाओं के सफल कियान्वयन हेतु लाभार्थी कृषकों एवं कर्मचारियों के क्षमता उन्नयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकम संचालित किये जायेंगे, जिसमें परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण, दृश्य दर्शन एवं गैर सरकारी संगठनों से संवाद आदि सम्मिलित होंगे।

5.1 राज्य स्तरीय प्रशिक्षणः–

यह प्रशिक्षण कृषि निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित किया जायेगा। प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त उप कृषि निदेशक(भू0सं0), भूमि संरक्षण अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगे, जिसमें उन्हें योजनाओं के आयामों की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य स्थानों पर भी यथा आवश्यक वृहद प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायेंगे जिसमें वैज्ञानिक, स्वयंसेवी संगठनों, कृशकों तथा विभागीय अधिकारियों की सहभागिता होगी।

5.2 मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण :–

मण्डल स्तर पर उप कृषि निदेशक (भू0सं0) अपने नियन्त्रणाधीन कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारियों एवं उनके अधीन तैनात समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगें। निदेशालय से भी अधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगें तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

5.3 ग्राम स्तरीय/परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण :–

योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों के क्षमता उन्नयन हेतु परियोजना स्तर पर गठित स्थल कियान्वयन समितियों के माध्यम से मासिक बैठकें अनवरत् रूप से आयोजित की जायेगी ताकि लाभार्थी/कृषकों में योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे अपनी सहभागिता को अनुभव कर सकें।

6.0 एक्सपोजर विजिट :–

भूमि संरक्षण अधिकारी अपनी इकाइयों में कार्यरत प्रत्येक योजना से सम्बन्धित स्थल कियान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं दो लाभार्थियों के वाह्य दृश्य दर्शन के कार्यकम आयोजित करायेगें। यह कार्यकम भूमि एवं जल संरक्षण से संबन्धित मान्यता प्राप्त केन्द्रों एवं स्वंय सेवी संगठनों द्वारा कराये गये प्रदर्शनीय कार्यों के स्थलों तथा पूर्व में कियान्वित परियोजनाओं पर कराये जायेगें। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा दो एक्सपोजर विजिट कराये जा सकते है जिसपर प्रति योजना अधिकतम रू0 10,000/– व्यय किया जाना अनुमन्य होगा।

7.0 कार्य सम्पादन की समय सारिणी :–

कार्यो को सफल बनाने हेतु निश्चित समय पर उनका निष्पादन आवश्यक है।विभिन्न कार्यो के सम्पादन की समय सारिणी निर्धारित की गई है जो *संलग्नक–1* पर दी गयी है। इसका पालन किया जाय।

8.0 योजना का कियान्वयन :–

योजनाओं का कियान्वयन स्थल कियान्वयन समिति (एस0आई0सी0) द्वारा किया जायेगा। यह समिति परियोजना/ग्राम्य स्तर के चयनित लाभार्थियों से बनाई जायेगी, जिनकी भूमि जल समेट क्षेत्र के अन्तर्गत उपचारित की जानी है। अध्यक्ष का चयन सदस्यों की आम सभा में किया जायेगा। इस समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होगे :–

- अध्यक्ष – सदस्यों द्वारा चयनित।
- सचिव – प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी/बी।
- सदस्य – समस्त लाभार्थी ।

समिति का राष्ट्रीयकृत/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक बचत खाता खोला जायेगा,जिसमें कार्य से संबन्धित समस्त धनराशि अग्रिम जमाकर कार्यों का निष्पादन कराया जायेगा। यह बचत खाता समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा। समिति परियोजना के समस्त कार्य अपनी देखरेख

में निष्पादित करायेगी तथा कार्यों का नियमानुसार मापन तथा शत प्रतिशत सत्यापन होने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक माह में समस्त लाभार्थियों की एक बैठक अवश्य आयोजित कराई जायेगी, जिसकी कार्यवृत्त एक पंजिका में संबन्धित परियोजना प्रभारी द्वारा अंकित किया जायेगा तथा एस0आई0सी0 के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

9.0 <u>परियोजना हेतु वित्तीय व्यवस्था :–</u>

चयनित परियोजनाओ में समस्याग्रस्त भूमि के उपचार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 के संशोधित प्रस्तर–एक (iv) के चिन्हित लाभार्थियों के निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि को उपचारित करने वाली संरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नरेगा अंश के रूप में श्रम एवं सामग्री में 60:40 के अनुपात में कय की जाएगी। जलसमेट क्षेत्र के शेष लाभार्थियों के निजी भूमि को उपचारित करने वाली संरचनाओं, एवं योजना के अन्य घटक यथा फसलोत्पादन कार्यकम, जिप्सम व्यवस्था, बोरिंग व्यवस्था, जल संवाहक सुविधाओं के विकास, प्रदर्शन, सर्वेक्षण नियोजन, प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं विविध व्यय हेतु आवश्यक समस्त धनराशि पूर्व की भाँति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। योजनावार/मदवार वित्त पोषण के स्रोत का विवरण संलग्नक–2 पर दिया गया है।

परियोजनान्तर्गत क्षेत्र विशेष के ढाल एवं भूमि कटाव की परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक खसरे के उपचार हेतु आवश्यक संरचनाओं का नियोजन किया जायेगा। जहाँ एक ही संरचना से नरेगा एवं गैर नरेगा श्रेणी के लाभार्थियों की निजी भूमि को संरक्षित किया जाना है, वहाँ उनके लाभान्वित क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक व्यय आगणन तैयार किया जायेगा। जलभराव क्षेत्रोपचार एवं तालाब जीर्णोद्धार/निर्माण जैसे सामुदायिक कार्यो की समस्त धनराशि नरेगा अंश के रूप में प्राप्त की जायेगी। नरेगा के अन्तर्गत श्रम एवं सामग्री के लिए निर्धारित 60:40 प्रतिशत को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा।

10.0 <u>फण्ड फ्लो मैकेनिज्म :–</u>

उपरोक्त योजनाओं के कियान्वयन हेतु नरेगा अंश की धनराशि यथासंभव जनपद स्तर से जिला कार्यकम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में सीधे भूमि संरक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना क्षेत्र के शेष लाभार्थियों के क्षेत्र उपचार हेतु आवश्यक धनराशि एवं योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक विविध व्यय की धनराशि कृषि विभाग को राज्य सरकार के बजट से उपलब्ध कराई जायेगी। दोनो श्रोतों से प्राप्त धनराशि को स्थल कियान्वयन समिति के बैंक खाते में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा हस्तांतरित कर कार्य निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

11.0 <u>कार्य की मात्रा एवं दरों का निर्धारण :–</u>

किसान हित योजना, कुशल जल प्रबन्धन योजना, बुन्देलखण्ड हेतु वर्षा जल संचयन की योजना में नरेगा योजना से डवटेलिंग कर निष्पादित कराये जाने वाले कार्यो हेतु धन उपलब्धता दो स्रोतों से होने की

दशा में भी समस्त कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी दर अनुसूची(शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार कराया जायेगा।

12.0 माप पुस्तिका में अंकन :–

नरेगा एवं गैर नरेगा मद से निष्पादित समस्त कार्यों का अंकन विभागीय मूल माप पुस्तिका में किया जायेगा। नरेगा मद से कराये गये समानुपातिक कार्यों के अंकन हेतु विकासखण्ड कार्यालय से माप पुस्तिका प्राप्त कर नरेगा के बजट से कराये गये उपचार कार्यों के विवरण को अंकित किया जायेगा। मूल माप पुस्तिका में नरेगा बजट से कराये गये कार्यों को नरेगा की माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या पर स्थानान्तरित करने का उल्लेख किया जायेगा। इसी प्रकार नरेगा की माप पुस्तिका में भी मूल माप पुस्तिका के पृष्ठ का अंकन किया जायेगा।

13.0 कार्यों का निष्पादन, मापन, सत्यापन एवं भुगतान :–

योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पादन, मापन, सत्यापन एवं भुगतान को पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- कार्यों का निष्पादन परियोजना/ग्राम स्तर पर गठित स्थल क्रियान्वयन समिति के निर्देशन में किया जायेगा।
- स्थल क्रियान्वयन समिति की देख–रेख में निष्पादित कार्यों का मापन विभागीय दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
- मापित कार्य का शत–प्रतिशत सत्यापन विभागीय दिशा–निर्देश/शासनादेश के अनुसार कृषि विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संबन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य निष्पादन में लगे मजदूरों को सामयिक भुगतान स्थल क्रियान्वयन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम–1963 के अनुसार समस्त अभिलेखों को पूर्ण कराकर ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
- नरेगा अंश की धनराशि का उपयोग करते समय मानव श्रम करने हेतु जॉब कार्ड धारक व्यक्तियों से कार्य कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में मशीनरी से कार्य कराये जाने पर प्रतिबन्ध है तथा ठेकेदारी भी प्रतिबन्धित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

14.0 नरेगा अंश की धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव :–

नरेगा अंश के रूप में प्राप्त धनराशि से जो कार्य होगें, उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्राविधान के अनुसार ही मस्टररोल एवं भुगतान की प्रकिया का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक अभिलेख, [illegible] एवं माप पुस्तिका संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से तकनीकी प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी

(भूमि संरक्षण) द्वारा प्राप्त किया जायेगा। श्रमिक चिट्ठों में दैनिक श्रमिकों का अंकन परियोजना प्रभारी द्वारा कि जायेगा।

भुगतान पश्चात् श्रमिकों का चिट्ठा, माप पुस्तिका एवं सामग्री अंश के अभिलेख वरिष्ठ प्राविधिक सहाय ग्रुप–बी (भूमि संरक्षण) द्वारा विकासखण्ड कार्यालय में वापस जमा किया जायेगा।

15.0 कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं समीक्षा :–

योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरी मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का गठ किया गया है। उपरोक्त समितियों द्वारा योजना की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा। जनपदीय ए मण्डलीय समिति माह में एक बार नियमित समीक्षा करेगी, जिसका कार्यवृत्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को नियमित रूप से प्रेषित किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं समीक्ष हेतु गठित समितियों का विवरण *संलग्नक–3* पर दिया गया है।

कृपया कृषि विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2009–10 के भौतिक एव वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार परियोजनायें तैयार कर उसकी स्वीकृति/अनुमोदन नरेगा के अन्तर्गत करने तथा वॉछित धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के संतृप्तिकरण हेतु प्राथमिकता पर राज्य सरकार के स्तर से वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि की मॉग सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे राज्य स्तर से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्रक्रिया शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन करते हुए उपरोक्तानुसार लघु सिंचाई विभाग से समन्वय(डबटेल) करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्याः 2750 (1)/38–7–09तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव(नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश सं0–2153/12–3–2009–474/87, दिनांक जुलाई,09 का संलग्नक–1

किसान हित योजना, कुशल जल प्रबन्धन एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 के निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति का माहवार मानक/कार्य पंचांग

क्र0सं0	माह का नाम	मासिक पूर्ति का मानक (प्रतिशत में)		क्रमिक पूर्ति का मानक (प्रतिशत में)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	अप्रैल 2009	सर्वेक्षण एवं नियोजन, प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान।			
2	मई 2009				
3	जून 2009	योजना एवं परियोजनाओं की पत्रावली तैयार करना, स्थल कियान्वयन समिति का गठन, बैक खाता खोलना, प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान।			
4	जुलाई 2009				
5	अगस्त 2009				
6	सितम्बर 2009	10	5	10	5
7	अक्टूबर 2009	20	10	30	15
8	नवम्बर 2009	25	20	55	35
9	दिसम्बर 2009	20	20	75	55
10	जनवरी 2010	15	25	90	80
11	फरवरी 2010	10	15	100	95
12	मार्च 2010	0	5	100	100

शासनादेश सं0–2153 / 12–3–2009–474 / 87, दिनांक जुलाई,09 का संलग्नक–2

किसान हित योजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत का विश्लेषण

क्र0 सं0	मद का नाम	इकाई	लागत प्रति इकाई (रू0)	अनुमन्य अनुदान (रू0 में)	कृषक अंश (रू0 में)	नरेगा से डवटेलिंग की स्थिति में अनुदान अंश का वित्त पोषण	
						नरेगा श्रेणी के लाभार्थी के लिए	अन्य श्रेणी के लाभार्थी के लिए
1–ऊसर सुधार कार्यक्रम							
	प्रथम वर्ष के कार्य						
अ–	प्रक्षेत्र विकास कार्य (मेडबन्दी,समतलीकरण, सिंचाई नाली, फील्ड ड्रेन निर्माण)	हे0	7500.00	7500.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
	लिंक ड्रेन निर्माण	हे0	3000.00	3000.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
	बोरिंग व्यवस्था	हे0	700.00	700.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
	जिप्सम का प्रयोग (औसत 5 टन / हे0)	हे0	12000.00	10800.00	1200.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	द्वितीय वर्ष के कार्य						
ब–	जिप्सम मिक्सिगं एवं लीचिंग	हे0	400.00	400.00	0.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	हरी खाद हेतु ढैंचा की खेती (60किग्रा बीज / हे0 एवं एक सिंचाई)	हे0	1600.00	1440.00	160.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	धान की फसल पर कृषि निवेश	हे0	3000.00	1500.00	1500.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	योग		28200.00	25340.00	2860.00		

2–बीहड / बंजर सुधार कार्यक्रम

अ–	कृशि उत्पादन हेतु						
प्रथम वर्ष							
	1–क्षेत्र विकास कार्य	हे0	15000.00	15000.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
	द्वितीय वर्ष						
	2–कृषि निवेशों की व्यवस्था	हे0	2500.00	1250.00	1250.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	योग		17500.00	16250.00	1250.00	—	—

योजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत का विश्लेषण (क्रमशः)

क्र0 सं0	मद का नाम	इकाई	लागत प्रति इकाई(रू0)	अनुमन्य अनुदान (रू0 में)	कृषक अंश (रू0 में)	नरेगा से डवटेलिंग की स्थिति में वित्तपोषण का स्रोत	
						नरेगा श्रेणी के लाभार्थी के लिए	अन्य श्रेणी के लाभार्थी के लिए
ब–	वनीकरण / कृषि वानिकी –						
	प्रथम वर्ष						
	1–सुरक्षा खाई, स्टैगर्ड ट्रेंच तथा खड्ड़ों की खुदाई पर व्यय	हे0	15000.00	10000.00	5000.00	नरेगा	नरेगा
	द्वितीय वर्ष						
	2–400 पौधों तथा बीज का मूल्य	हे0	3000.00	3000.00	0.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	3–बीज बुबाई एवं रोपण पर व्यय	हे0	2000.00	0.00	2000.00	लाभार्थी	लाभार्थी
	योग		20000.00	13000.00	7000.00		
स–	बागवानी विकास –						
	प्रथम वर्ष						
	1–बॉध निर्माण तथा खडडों की खुदाई	हे0	15000.00	10000.00	5000.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
	द्वितीय वर्ष						
	2–फलदार वृक्ष तथा मेडों पर रोपण हेतु पौधों का मूल्य	हे0	4000.00	4000.00	0.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	3–पौधरोपण पर व्यय	हे0	1000.00	0.00	1000.00	लाभार्थी	लाभार्थी
	योग		20000.00	14000.00	6000.00		
3.	तालाबों का जीर्णोद्धार	हे0	86000.00	86000.00	0.00	सामुदायिक प्रकार का कार्य होने के कारण सम्पूर्ण वित्तपोषण नरेगा से प्रस्तावित है।	
4.	जलभराव क्षेत्रोपचार	हे0	5000.00	5000.00	0.00		

कुशल जल प्रबन्धन योजना का लागत विश्लेषण

क0 सं0	कार्यमद	इकाई	प्रति इकाई लागत (रू0)	परियोजना अंश (रू0)	कृषक अंश (रू0)	नरेगा से डवटेलिंग की स्थिति में अनुदान अंश का वित्त पोषण	
						नरेगा श्रेणी के लाभार्थी के लिए	अन्य श्रेणी लाभार्थी के लिए
1	समोच्च रेखीय बॉध	हे0	3200.00	3200.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्ट
2	मार्जिनल/पेरीफेरल बॉध	हे0	5500.00	5500.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्ट
3	जल संचय बन्धी	हे0	18000.00	18000.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्ट
4	समतलीकरण	ळे0	20000.00	20000.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्ट
5	लेज़र लेवलर की व्यवस्था	संख्या	380000.00	380000.00	0.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्ट
6	जल संवाहक सुविधाओं का विकास	संख्या	16042.00	7292.00	8750.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्ट
7	वैज्ञानिक सिंचाई विधियों के प्रदर्शन	संख्या	3000.00	1500.00	1500.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्ट

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जलसंचयन एवं सिंचाई की योजना का लागत विश्लेषण

क0 सं0	कार्यमद	इकाई	प्रति इकाई लागत (रू0)	परियोजना अंश (रू0)	कृषक अंश (रू0)	नरेगा से डवटेलिंग की स्थिति में अनुदान अंश का वित्त पोषण	
						नरेगा श्रेणी के लाभार्थी के लिए	अन्य श्रेणी लाभार्थी के लिए
1	फार्म पाण्ड/तालाब निर्माण	हे0	12500.00	12500.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
2	जलसंचय बंधी	हे0	18000.00	18000.00	0.00	नरेगा	राज्य सेक्टर
3	स्प्रिंकलर सेट वितरण						
	अ–लघु, सीमान्त, अनु0 जाति/जनजाति	संख्या	65000.00	65000.00	0.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
	ब– सामान्य कृषक	संख्या	65000.00	48750.00	16250.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर
4	वर्षा जल के सम्यक उपयोग के प्रदर्शन	संख्या	2500.00	1250.00	1250.00	राज्य सेक्टर	राज्य सेक्टर

शासनादेश सं0—2153 / 12—3—2009—474 / 87, दिनांक जुलाई, 09 का संलग्नक—3

किसान हित योजना, कुशल जल प्रबन्धन एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित समितियों का विवरण

- **राज्य स्तर :**

➢ कृषि उत्पादन आयुक्त	—अध्यक्ष
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि	—सदस्य / सचिव
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, उद्यान	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, लघु सिंचाई	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, वन	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन	—सदस्य
➢ प्रमुख सचिव / सचिव पंचायत	—सदस्य
➢ आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0	—सदस्य
➢ कृषि निदेशक, उ0प्र0	—सदस्य
➢ प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0भू0सु0नि0	—सदस्य
➢ प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो	—सदस्य

- **मण्डल स्तर :**

➢ आयुक्त	—अध्यक्ष
➢ संयुक्त कृषि निदेशक	—सदस्य / सचिव
➢ संयुक्त / उप विकास आयुक्त	—सदस्य
➢ अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई	—सदस्य
➢ वन संरक्षक	—सदस्य
➢ उप कृषि निदेशक, (भू0सं0)	—सदस्य
➢ उप निदेशक, (मत्स्य)	—सदस्य
➢ उप निदेशक, (उद्यान)	—सदस्य
➢ अधिशासी अभियन्ता, (लघु सिंचाई)	—सदस्य
➢ उप निदेशक, (पंचायत)	—सदस्य
➢ क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 एग्रो	—सदस्य

* जनपद स्तर :

- जिलाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता, (सिंचाई) – सदस्य
- प्रभागीय वन अधिकारी – सदस्य
- परियोजना निदेशक(डी0आर0डी0ए0) – सदस्य
- जिला उद्यान अधिकारी – सदस्य
- सहायक निदेशक, (मत्स्य) – सदस्य
- सहायक अभियन्ता, (लघु सिंचाई) – सदस्य
- जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक – सदस्य
- भूमि संरक्षण अधिकारी – सदस्य
- जिला विक्रय अधिकारी, यू0पी0 एग्रो – सदस्य
- उप कृषि निदेशक – सदस्य / सचिव